न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 58/2011 प्रकरण प्रार्थना पत्र (आदेश 39 नियम 2 क)

1. ओमप्रकाश पिता रामदत्त व्यास निवासी रायला, तहसील बनेडा	बनाम	1. श्रीमती विमला सोमानी सरपंच ग्राम पंचायत रायला, तहसील बनेडा 2. प्रकाश सिंह सचिव ग्राम पंचायत रायला 3. कैलाशचन्द्र बसेर, विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2(क) व्य.प्र.सं. प्रकरण संख्या 10/2010 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.12.2010 की पालना न करने से न्यायिक आदेश की अवज्ञा करने से कार्यवाही करने हेतु

उपस्थित –
1. श्री श्याम लाल वैद अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री छोटूलाल माली अधिवक्ता – विपक्षीगण की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक 17-06.2020

प्रकरण में न्यायालय प्रकरण संख्या 10/2010 निगरानी उनवान ओमप्रकाश बनाम माहेश्वरी समाज रायला वगैरह के मामले में पत्रावली सं. 21 संवत् 2020 दिनांक 04.10.64 के कम में जारी पटटा दिनांक 20.12.64 के अनुसार अधिक भूमि पर माहेश्वरी समाज रायला का नाजायज कब्जा होने से दिनांक 29.12.2010 को आदेश पारित किया गया जिसके अनुसार इस न्यायालय ने ग्राम पंचायत रायला को आदेश दिया कि ग्राम पंचायत अधिक भू भाग से विपक्षीगण माहेश्वरी समाज रायला का अतिक्रमण हटाकर उक्त भूमि को पंचायत के कब्जे में लेकर विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा को अवगत करावे।

उक्त आदेश की पालना अब तक न तो ग्राम पंचायत रायला ने की और न ही विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा ने नाजायज कब्जे को हटाकर पुनः अधिग्रहित करने के संबंध में कब्जे मे लिये जाने की कोई सुनिश्चितता के संबंध में कोई कारगर कदम उठाया हैं। ग्राम पंचायत रायला के सरपंच विमला देवी सोमाणी है जो स्वयं माहेश्वरी है और माहेश्वरी समाज रायला के पंचायत की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हितबद्ध नहीं होने से नहीं हटाया हैं तथा सचिव के रूप में प्रकाश सिंह कार्यरत हैं तथा विकास अधिकारी कैलाशचन्द्र बसेर हैं। उक्त तीनों लोकसेवकों ने उदासीनता बरतकर न्यायालय आदेश की अवज्ञा की हैं। इसलिए विपक्षीगण व्यक्तिशः न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2010 की अवज्ञा करने व अवमानना करने के दोषी हैं, जिन्हें सिविल

सजा भुगताई जाना न्यायोचित हैं एवं इसके साथ ही न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना विपक्षीगण से करवाया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2010 की अवज्ञा करने के दोषी होने से उन्हें सिविल कारावास से दंडित किया जावे तथा न्यायालय के आदेश दिनांक 29.12.2010 की पालना करने बाबत् विपक्षीगण को सख्त आदेश कर माहेश्वरी समाज रायला द्वारा पटटे के अनुसार अधिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाकर उक्त भूमि पंचायत के कब्जे में लेने बाबत् आज्ञा प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2011 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए।

प्रकरण में विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर नियुक्ति का पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का आदेश किया गया।

प्रकरण में माहेश्वरी समाज रायला जरिये मंत्री प्रेमलाल पुत्र बंशीलाल सामरिया निवासी रायला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 16.12.2019 को अस्वीकार किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये बताया कि न्यायालय प्रकरण संख्या 10/2010 निगरानी उनवान ओमप्रकाश बनाम माहेश्वरी समाज रायला वगैरह के मामले में पत्रावली सं. 21 संवत् 2020 दिनांक 04.10.64 के कम में जारी पटटा दिनांक 20.12.64 के अनुसार अधिक भूमि पर माहेश्वरी समाज रायला का नाजायज कब्जा होने से दिनांक 29.12.2010 को आदेश पारित किया गया जिसके अनुसार इस न्यायालय ने ग्राम पंचायत रायला को आदेश दिया कि ग्राम पंचायत अधिक भू भाग से विपक्षीगण माहेश्वरी समाज रायला का अतिक्रमण हटाकर उक्त भूमि को पंचायत के कब्जे में लेकर विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा को अवगत करावे। उक्त आदेश की पालना अब तक न तो ग्राम पंचायत रायला ने की और न ही विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा ने नाजायज कब्जे को हटाकर पुनः अधिग्रहित करने के संबंध में कब्जे मे लिये जाने की कोई सुनिशिचितता के संबंध में कोई कारगर कदम उठाया हैं। ग्राम पंचायत रायला के सरपंच विमला देवी सोमाणी है जो स्वयं माहेश्वरी है और माहेश्वरी समाज रायला के पंचायत की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हितबद्ध नहीं होने से नहीं हटाया हैं तथा सचिव के रूप में प्रकाश सिंह कार्यरत हैं तथा विकास अधिकारी कैलाशचन्द्र बसेर हैं। उक्त तीनों लोकसेवकों ने उदासीनता बरतकर न्यायालय आदेश की अवज्ञा की हैं। इसलिए विपक्षीगण व्यक्तिशः न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2010 की अवज्ञा करने व अवमानना करने के दोषी हैं, जिन्हें सिविल सजा भुगताई जाना न्यायोचित हैं एवं इसके साथ ही न्यायालय द्वारा पारित आदेश की

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

पालना विपक्षीगण से करवाया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत हैं।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस एवं लिखित बहस में बताया कि माहेश्वरी समाज के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में बताया कि निगराकार ओमप्रकाश ने माहेश्वरी समाज को आवंटित भूमि को निरस्त कराने हेतु निगरानी पेश की जिसमें आवंटन को सही मानते हुए निगरानी खारिज की साथ ही इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.12.2010 में 25000 वर्गफीट से अधिक भूमि से माहेश्वरी समाज का कब्जा हटाने बाबत् निर्देश जारी किये गये। माहेश्वरी समाज द्वारा मौके पर केवल 22193 फीट के अलावा शेष भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया क्योंकि ओमप्रकाश एवं माहेश्वरी समाज के बीच भूमि का विवाद हैं। सरपंच, सचिव, विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 21.06.2011 में मौके पर 22193 वर्गफीट भूमि पर माहेश्वरी समाज का कब्जा होना पाया गया। दिनांक 15.12.2012 को ग्राम पंचायत सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने मौका देखा जिसकी रिपोर्ट अनुसार माहेश्वरी समाज के पास 18600 फीट भूमि ही रहती हैं, शेष भूमि 6400 फीट भाग पर ओमप्रकाश विवाद बताकर उसका कब्जा बताता हैं।

पूर्व निगरानी प्रकरण सं. 10/2010 के आदेश की पालना हेतु हकरसी व इजराय पेश होती एवं उक्त हकरसी व इजराय भी विपक्षी ग्राम पंचायत द्वारा ही पेश की जा सकती हैं। प्रार्थी को अवमानना याचिका पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त प्रकरण में अवमानना याचिका पोषणीय नहीं हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रार्थी व विपक्षी माहेश्वरी समाज के प्रकरण में भी अवमानना याचिका पेश की थी जिन्हें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले में यथास्थिति का आदेश कर रखा हैं तथा माहेश्वरी समाज का 18600 वर्गफीट भूमि पर ही कब्जा रिपोर्ट हैं। उक्त रिपोर्ट दिनांक 15.12.2012 का है तथा पंचायत की हैं। ऐसी परिस्थिति में यह अवमानना याचिका पोषणीय नही होने से निरस्तनीय है। निवेदन हैं कि उक्त अवमानना याचिका प्रस्तुत करने का प्रार्थी को अधिकार नही होने तथा कानूनन पोषणीय नही होने से खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली व दस्तावेजात का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि कमिश्नर मौका रिपोर्ट दिनांक 08.01.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बनेडा अनुसार मौका नपती किये जाने पर माहेश्वरी समाज के भूखण्ड का कुल क्षैत्रफल 26172.25 वर्गफीट माना गया, किन्तु पूर्व एवं उत्तरी दिशा में माहेश्वरी समाज के भूखण्ड के कोई बाउण्ड्रीवाल निर्मित नही होने से कितने भू भाग पर कब्जा किया हुआ हैं अथवा नहीं, पुख्ता नहीं माना जा सकता हैं। भूखण्ड के ताला चाबी भी नहीं हैं। सार्वजनिक रूप से आवारा पशु आते जाते रहते है। उक्त भूखण्ड के पूर्व दिशा में ओमप्रकाश व्यास का नोहरा स्थित होकर भूखण्ड को बाउण्ड्री वाल से कवर किया हुआ हैं। जिसका उपयोग ओमप्रकाश व्यास स्वयं कर रहा है।

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.12.2010 में 25000 वर्गफीट से अधिक भूमि से माहेश्वरी समाज का कब्जा हटाने बाबत् निर्देश जारी किये गये। माहेश्वरी

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर

समाज द्वारा मौके पर केवल 22193 फीट के अलावा शेष भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया क्योंकि ओमप्रकाश एवं माहेश्वरी समाज के बीच भूमि का विवाद हैं। सरपंच, सचिव, विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 21.06.2011 में मौके पर 22193 वर्गफीट भूमि पर माहेश्वरी समाज का कब्जा होना पाया गया। दिनांक 15.12.2012 को ग्राम पंचायत सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने मौका देखा जिसकी रिपोर्ट अनुसार माहेश्वरी समाज के पास 18600 फीट भूमि ही रहती हैं।

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 10/2010 निगरानी निर्णय दिनांक 29.12.2010 में 25000 वर्गफीट से अधिक भूमि से माहेश्वरी समाज का कब्जा हटाने बाबत् निर्देश जारी किये गये। इस निर्णय की पालना विपक्षीगण द्वारा नही किये जाने से प्रार्थी द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी बनेडा की कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 03.01.2018 में माहेश्वरी समाज रायला के भूखण्ड की भूमि का क्षैत्रफल 26172.25 वर्गफीट होकर इस भूखण्ड के पूर्व दिशा पर बाउण्ड्रीवाल नही होने से इस भूमि पर माहेश्वरी समाज रायला का नाजायज कब्जा होने संबंधी पुख्ता तथ्य नहीं पाये गये। माहेश्वरी समाज रायला के भूखण्ड की पूर्व दिशा में ओमप्रकाश के भूखण्ड की बाउण्ड्री बनी हुयी हैं, जिसका उपयोग ओमप्रकाश स्वयं कर रहा है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण संख्या S.B. Civil Writ Petition No. 1469/2001 ओमप्रकाश बनाम श्रीमती विमला देवी में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत S.B. Civil Contempt Petition No. 404/2010 दिनांक 27.07.2011 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा खारिज किया गया है।

इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा निगरानी प्रकरण सं. 10/2010 निर्णय दिनांक 29.12.2010 की पालना के संबंध में विपक्षीगण द्वारा अवमानना किया जाना सिद्ध नहीं होता हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) को अस्वीकार किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)